



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-22082025-265630
CG-TL-E-22082025-265630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3736]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947

No. 3736]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(nf{k.k el; jyo)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3841(अ).—केंद्र सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), की धारा 20ए की उप-धारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में औरंगाबाद - अंकाई दोहरीकरण के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करता है।

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा (I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप विभागीय अधिकारी, येवला, नासिक जिला, को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, येवला, नासिक जिला आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में विशेष रेलवे परियोजना, औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण हेतु किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जानेवाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

भूमि अधिग्रहण का विवरण—नासिक जिला में यात्री और माल सुविधा के लिए औरंगाबाद-अंकाई दोहरीकरण परियोजना।

राज्य : महाराष्ट्र

जिला : नासिक

क्रम सं.	भूमिधारक का नाम	सर्वेक्षण सं./ गट सं.	अधिग्रहित की जाने वाली अनुमानित भूमि (हेक्टेयर में)	7/12 के अनुसार भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	मामले का विवरण
तालुका : येवला			गांव : पिंपलखुटे (खुर्द)		
1	चांगदेव कारभारी रोठे सुकदेव कारभारी रोठे दत्त लहानु रोठे बारकु कारभारी रोठे भागुबाई कारभारी रोठे कौशाबाई निवृत्ती रोठे लक्ष्मण निवृत्ती रोठे आनंदा निवृत्ती रोठे कारभारी निवृत्ती रोठे राहुल निवृत्ती रोठे अलकाबाई भिमराज कदम लताबाई बाबासाहेब निकम रंजना प्रभाकर पवार संगिता अशोक काले संगिता अशोक दाणे अनिता विजय गुडघे	78	0.20	0.03	मामला सं एलएक्यू सं.- 06/25
2	भागुबाई काशिनाथ रोठे लताबाई ज्ञानेश्वर रोठे वाल्हुबाई रंभाजी रोठे साहेबराव काशिनाथ रोठे हिरामण रंभाजी रोठे आशाबाई भाऊसाहेब रोठे आसाराम काशिनाथ रोठे गोरखनाथ रंभाजी रोठे ज्योती सचिन ढोपरे बाजीराव त्र्यंबक रोठे	79		0.63	

	बालु काशिनाथ रोठे राजाराम काशिनाथ रोठे झुण्याबाई परशराम कोमकर रेशमाबाई चांगदेव जाधव साकराबाई तुकाराम इंगले				
3	राहुल निवृत्ती रोठे लक्ष्मण निवृत्ती रोठे	80/1		1.93	
4	राहुल निवृत्ती रोठे लक्ष्मण निवृत्ती रोठे	80/2		0.88	
5	कैलास परशराम रोठे कचरू परशराम रोठे भास्कर परशराम रोठे विमल सुरेश देवरे हौसाबाई परशराम रोठे	111		1.65	
तालुका : येवला			ग्राम : तलवाड़े		
6	दाऊदखॉ भिकनखॉ पटेल	29	0.20	1.33	मामला सं एलएक्यू सं.- 07/25

[फा. सं. E-313959/20A/060825]

हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-V

MINISTRY OF RAILWAYS**(South Central Railway)****NOTIFICATION**

Secunderabad, the 13th August, 2025

S.O. 3841(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred as in as the said Act), central government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the special railway project, Aurangabad –Ankai in Nashik district in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 20D of the said act.

Every such objection shall be made to the competent authority , namely Sub Divisional Officer, Yeola, Nashik district in writing and shall be set out the grounds there of and the competent authority Sub Divisional Officer, Yeola, Nashik district shall give the objector an opportunity of being heard , either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by, order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project namely –
Aurangabad – Ankai Doubling in the state of Maharashtra.**

Description of Land in Acquisition:—Project of Aurangabad–Ankai Doubling Dist.- Nashik for passenger and freight facility.

State: Maharashtra

Dist.: Nashik

S. No.	Name of Land Holder	Survey No./ Gut No.	Approximate Land to be Acquired (HR)	Land Acquisition Area as per 7/12 (Hectare)	Details of the case
Taluka :Yeola			Village:Pimpalkhute (Khurd)		
1	Changadev Karbhari Rothe, Sukadev Karbhari Rothe, Dattu Lahanu Rothe Baraku Karbhari Rothe, Bhagubai Karbhari Rothe, Kaushabai Nivarutti Rothe, Laxman Nivarutti Rothe, Ananda Nivarutti Rothe, Karabhari Nivarutti Rothe, Rahul Nivarutti Rothe, Alkabai Bhimaraj Kadam, Latabai Babasaheb Nikam, Ranjana Prabhakar Pawar, Sangita Ashok Kale, Sangita Ashok Dane, Anita Vijay Gudaghe	78	0.2373	0.03	Case No. LAQ NO-06/25
2	Bhagubai Kashinath Rothe, Latabai Dhyanevar Rothe, Whahlubai Rambhaji Rothe, Sahebrao Kashinath Rothe, Hiraman Rambhaji Rothe, Ashabai Bhausahab Rothe, Asaram Kashinath Rothe, Gorakh Rambhaji Rothe, Jyoti Sachin Dhopare, Bajirao Tryambak Rothe, Balu Kashinath Rothe, Rajaram Kashinath Rothe, Zunyabai Parasram Komkar, Reshamabai Changadev Jadhav, Sakarabai Tukaram Ingale	79		0.63	
3	Rahul Nivarutti Rothe, Laxman Nivarutti Rothe,	80/1		1.93	
4	Rahul Nivarutti Rothe, Laxman Nivarutti Rothe,	80/2		0.88	
5	Kailas Parashram Rothe, Kacharu Parashram Rothe, Bhaskar Parashram Rothe, Vimal Suresh Devare, Haushabai Parashram Rothe,	111		1.65	

Taluka :Yeola			Village:Talwade		
6	Daudkha Bhikankha Patel	29	0.20	1.33	Case No. LAQ NO-07/25

[F. No. E-313959/20A/060825]

HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-V